न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वादपत्र संख्या – 1565 / 2017

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

मंदिर मूर्ति श्री गोपाल जी महाराज स्थिज्ञत ग्राम जूनियां तहसील केकडी जर्ये मेनेजर व व्यवस्थापक श्री रघुराज सिंह पुत्र श्री आनन्द सिंह जाति राजपूत निवासी जूनियां तहसील केकडी जिला अजमेर राज.

वादी

सत्यमेव जयते

बनाम

Web Copy Not Official

1. श्योजी पुत्र उगमा जाति कीर
2. राजू पुत्र उगमा जाति बैरवा
3. जगदीश पुत्र नन्दा जाति बैरवा
4. बद्री पुत्र छोगा जाति बैरवा
5. गोकुल पुत्र श्री नारायण बैरवा
6. जगदीश पुत्र रामकरण जाति माली
7. बद्री पुत्र रामकरण जाति माली
8. सत्यनारायण पुत्र देवीलाल आचार्य
9. ओम पुत्र छोगा जाति आचार्य
10. मूल जी पुत्र रूपा आचार्य

समस्त निवासीगण जूनियां तहसील केकडी जिला अजमेर राज.

प्रतिवादीगण

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय **दिनांकः– 09.05.2018**

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प जूनियां में पेश हुई। वादीगण उपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से कोई हाजिर नही । उपस्थित वादीगण को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी के वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम जूनियां तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता नम्बर 700 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 2390, 2390 / 6093, 3462, 3464, 3472, 3764, 3765, 3766, 3916, 3917, 3918, 3919 कुल किता 12 रकबा क्रमशः 0.52, 0.52, 0.43, 0.27, 2.32 ,0.05, 0.15, 0.04,. 0.04, 0.46, 0.50, 0.58 कुल रकबा 5.88 है. जो कि वादी मंदिर श्री गोपाल जी महाराज जूनियां की खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 10 का कोई हक अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 10 वादी की उक्त खातेदारी आराजीयात पर नाजायाज कब्जा करने व वादी को बेदखल करने की ऐलानिया धमकी दे रहे है। वाद प्रस्तुत करने का मूल कारण दिनांक 15.5.2017 वादी वाद वर्णित आराजीयात को हांक चौक करने को गया तो प्रतिवादीगण लडाई झगडे पर आमादा हो गयें। जिस कारण वादी को वाद न्यायालय में प्रस्तुत करना पडा । वादी द्वारा स्वयं की खातदेारी आराजीयात का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है ।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण 1,6,7 की और से श्री हेमन्त जैन, प्रतिवादीगण 2से 5 की और से श्री ओमप्रकाश अग्रवाल , प्रतिवादीगण 8 से 10 की और से श्री अशोक पालीवाल ने पावर पेश किया। प्रतिवादीगण को जवाब हेतु 5 मौके दिये गये किन्तु प्रतिवादीगण ने जवाब आदि पेश नही किया है। पत्रावली आज केम्प कोर्ट जूनियां में पेश हुई जहां उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। विवरण निम्न प्रकार है।

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी के वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम जूनियां तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित 2069–72 के खाता नम्बर 700 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 2390, 2390/6093, 3462, 3464, 3472, 3764, 3765, 3766, 3916, 3917, 3918, 3919 कुल किता 12 रकबा क्रमशः 0.52, 0.52, 0.43, 0.27, 2.32 ,0.05, 0.15, 0.04,. 0.04, 0.46, 0.50, 0.58 कुल रकबा 5.88 है. जो कि वादी मंदिर श्री गोपाल जी महाराज जूनियां की खातेदारी दर्ज है। जिस पर प्रतिवादीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं होना पाया गया । प्रस्तुत दस्तावेजों से वादी का दावा स्वीकार योग्य बनता है।

प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब दावा आदि पेश नही है ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है जिससे यह प्रतीत होता हो कि वादग्रस्त आराजी में उनका कोई हक हिस्सा आदि जाहिर होता हो।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित पक्षकारान को सूना वादग्रस्त आराजी वादीगण के खातेदारी में दर्ज होने से वादीगण का दावा प्रेमापेसाई होना पाया जाता है तथा वाद का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में होना पाया जाता है।

अतः वादी का दावा वाके ग्राम जूनियां तहसील केकड़ी जिला अजमेर की जमाबन्दी 2069–72 के खाता नम्बर 700 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 2390, 2390/6093, 3462, 3464, 3472, 3764, 3765, 3766, 3916, 3917, 3918, 3919 कुल किता 12 रकबा क्रमशः 0.52, 0.43, 0.27, 2.32 ,0.05, 0.15, 0.04,. 0.04, 0.46, 0.50, 0.58 कुल रकबा 5.88 है. जो कि वादी मंदिर श्री गोपाल जी महाराज जूनियां की खातेदारी दर्ज होने से अन्तर्गत धारा 188 का स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये निषेधाज्ञा से सदैव के लिए पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की वादग्रस्त आराजी में उसके कब्जे काश्त व स्वामित्व में किसी प्रकार बाधा उत्पन्न नही करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम है।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)